हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

चौदहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 130

मंगलवार, 8 मार्च, 2022/17 फाल्गुन,1943(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्नः 4908, 4913, 4915 से 4917 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्नः 4909, 4910, 4911, 4912 तथा 4914 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा मुख्य मंत्री द्वारा (प्राधिकृत) शहरी विकास मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 4918 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछा गया परन्तु समयाभाव के कारण प्रश्न का उत्तर नहीं आया। तारांकित प्रश्न संख्याः 4919 से 4961 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2007 से 2027 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री द्वारा (प्राधिकृति) शहरी विकास मंत्री** ने संस्था अधनियम, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्यागिकी एवं पर्यावरण परिषद् के वार्षिक लेखे वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 व 2017-18 एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-15, 2015-16 व 2016-18 की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखीः-

(i) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वर्ग-I(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः टी0पी0टी0-बी0(6)-1/2000-II दिनांक 06.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 09.12.2021 को प्रकाशित;

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, दफतरी, वर्ग-IV(अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2021 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-II(बी)2-3/2020 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में 08.12.2021 को प्रकाशित; और

(iii) भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियमन एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे (विलम्ब के कारणों सहित)।

3. सदन की समिति के प्रतिवेदन

(1) **श्री हर्ष वर्धन चौहान, सदस्य, लोक लेखा समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 207वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (राज्य के

वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का 208वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है; और

(iii) समिति का 209वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/राजस्व क्षेत्र) पर आधारित तथा आबकारी एवं कराधान विभाग से सम्बन्धित है ।

(2) **कर्नल इन्द्र सिंह, सभापति, लोक उपक्रम समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का 51वां मूल प्रतिवेदन(तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम(आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2018 के ऑडिट पैरा 3.1 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश ब्यास घाटी विद्युत निगम सीमित से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का 52वां मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2017-18) 31 मार्च, 2016 के ऑडिट पैरा 3.1 से 3.7 की संवीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड से सम्बन्धित है।

(3) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, जन-प्रशासन समिति** (वर्ष 2021-22) ने समिति का 22वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के दशम् मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2019-20) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

4. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, शिक्षा मंत्री
2. श्री हर्ष वर्धन चौहान

   माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान यह कहने पर कि प्रदेश में 12 प्रतिशत फ्री रॉयल्टी कर दी गई है, के बारे में बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि नई पावर पॉलिसी में शुरू से ही 12 प्रतिशत रॉयल्टी ली जाएगी।

3. कर्नल इन्द्र सिंह

(1.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.15 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।)

(भोजनावकाश के उपरान्त 02.20 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु, सदस्य ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए कहा कि अध्यक्ष महोदय इस सरकार की गम्भीरता इस बात से पता चलती है कि इस वक्त सभी मंत्रीगण अपने चैम्बर में बैठे हुए हैं। मुख्य मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत कर दिया है परन्तु ऐसा लगता है कि मंत्रीगण इस बजट से खुश नहीं हैं क्योंकि कांग्रेस के सारे सदस्य इस हाउस के कोरम को पूरा कर रहे हैं। उन्होंने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि कम-से-कम मिनिस्टर्ज को सदन में आने की हिदायत दें क्योंकि कई प्वाइंट्स ऐसे हैं जोकि इनसे संबंधित हैं।

धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी-

4. श्री पवन कुमार काजल

   माननीय सदस्य द्वारा जल जीवन मिशन के बारे में टिप्पणी करने पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि अगर माननीय सदस्य आंकड़ों के संबंध में कोई बात इस सदन में रखना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस संबंध में यहां सदन में पेपर ले (lay) करने चाहिए। उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पवन कुमार काजल जी ने जो बातें कही हैं और उस पर जो जल शक्ति मंत्री जी ने स्पष्टीकरण दिया है; मंत्री जी जल जीवन मिशन पर श्वेत पत्र इस विधान सभा में रखें ताकि पता लग जाए कि जल जीवन मिशन में क्या हुआ है।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्वेत पत्र के बारे में कहने पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करती है और सरकार ने किसी भी प्रश्न के उत्तर को छुपाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को जिन-जिन विभागों के बारे में कोई शंकाएं हैं, उस पर वे अपना कटौती प्रस्ताव लायें।

माननीय सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान गो-सेवा आयोग के बारे में टिप्पणी करने पर माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

श्री जगत सिंह नेगी और **श्री हर्ष वर्धन चौहान, सदस्यों ने** श्री पवन कुमार काजल, सदस्य द्वारा चर्चा के दौरान की गई टिप्पणियों पर बार-बार मंत्रियों द्वारा स्पष्टीकरण देने पर आपत्ति व्यक्त की।

माननीय सदस्य द्वारा दालों की घटिया क्वालिटी के ऊपर टिप्पणी करने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि उनके पास किसी भी विधान सभा क्षेत्र से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। जहां तक तेल की बात है तो वह भी ओपन टेंडर से खरीदा जाता है और हर हफ्ते उसकी सैम्पलिंग होती है तथा जब भी कोई सैम्पल फेल होता है तो तुरन्त विभाग कार्रवाई करता है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष द्वारा दाल में चूहे मिलने का मुद्दा उठाने पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने इसका खण्डन किया।

श्री पवन कुमार काजल, सदस्य पर माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा टिप्पणी करने पर कि "ये पूरे सदन के ठेकेदार बने हुए हैं", पर जल शक्ति मंत्री और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोंकझोंक हुई।

(माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी पर विरोध व्यक्त करते हुए 03.10 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य नारे लगाते हुए सदन के बीचों-बीच आ गए।)

(03.12 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

5. श्री नरेन्द्र ठाकुर

(03.13 बजे अपराह्न कर्नल इन्द्र सिंह सभापति पदासीन हुए।)

(03.15 बजे अपराह्न कांग्रेस विधायक दल के सदस्य सदन में वापिस आए।)

6. श्री संजय अवस्थी
7. श्रीमती कमलेश कुमारी, उप मुख्य सचेतक
8. श्री राकेश सिंघा
9. श्री होशयार सिंह

(04.55 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

10. श्री नन्द लाल

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 7.00 बजे सांय तक बढ़ाई गई।)

11. श्रीमती रीना कश्यप
12. श्री विनय कुमार
13. श्री हीरा लाल
14. श्री मोहन लाल ब्राक्टा
15. श्री जिया लाल

(07.00 बजे सायं सदन की बैठक 8.00 बजे तक बढ़ाई गई।)

16. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

(07.05 बजे सांय श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति पदासीन हुए।)

17. श्री किशोरी लाल
18. श्री सतपाल सिंह रायजादा
19. श्री सुरेन्द्र शौरी

(08.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 08.30 बजे सायं तक बढ़ाया गया।)

20. श्री भवानी सिंह पठानिया
21. श्री इन्द्र सिंह

(08.25 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

(08.30 बजे सायं सदन की बैठकका समय 09.00 बजे रात्रि तक पुनः बढ़ाई गई।)

22. श्री मुलख राज
23. श्री रविन्द्र कुमार

(09.00 बजे रात्रि सदन की बैठक का समय 09.05 बजे रात्रि तक बढ़ाया गया।)

रात्रि 09.05 बजे सदन की बैठक बुधवार, 09 मार्च, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।